भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र नजफगढ़,

नई दिल्ली-110043

अधिसूचना

सा.का.नि.   -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आरएचटीसी अस्पताल, नजफगढ़, नई दिल्ली में स्टाफ नर्स (नर्सिंग अधिकारी), ग्रुप-बी, गैर-राजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैः निम्नलिखित नियम अर्थात्: –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आरएचटीसी अस्पताल, नजफगढ़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, स्टाफ नर्स (नर्सिंग अधिकारी), ग्रुप-बी, गैर-राजपत्रित, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदिः – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह

किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची का प्रारूप

स्टाफ नर्स (नर्सिंग अधिकारी) के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**
स्टाफ नर्स (नर्सिंग अधिकारी)	36 (छत्तीस)* * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -7 (रु. 44900 – 142400/-)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
6	**7**	**8**

18 से 30 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) नोटः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख केंद्रीय सरकार के नियम के अनुसार निर्धारित होगी।)	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एससी (ऑनर्स); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम बी.एससी नर्सिंग; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग (ख) राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीकृत नर्स या नर्स और मिड-वाइफ (आरएन या आरएन और आरएम); अथवा (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग और मिड-वाइफरी में डिप्लोमा; (ख) राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीकृत नर्स और मिड-वाइफ; (ग) 2 (क) में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद न्यूनतम पचास बिस्तर वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। नोट 1: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी, अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों को दर्ज करके अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर योग्यता में छूट दे सकते हैं। नोट 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर लिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर "अनुभव" में छूट दे सकते हैं।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11

दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100% नोटः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के के कारण रिक्तियां केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकतीं हैं: (क) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत अधिकारी (ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	**13**
समूह 'ख' विभागीय स्थायी समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: – निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली- अध्यक्ष। उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली। - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।